संख्या–3156 / 9–आ–1–2000–688 डीए / 98

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 2000

विषय :चैरिटेबिल संस्थाओं को आवंटित भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्यतया चैरिटेबिल संस्थाओं को आवंटित भूमि को फ्री–होल्ड नहीं किया जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि संस्थाओं को भू–खण्ड किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये रियायती दरों पर आवंटित किया जाता है और लीज की शर्तों के माध्यम से उस प्रयोजन को सुनिश्चित किया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त चैरिटेबिल संस्थाओं को फ्री–होल्ड की सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से उक्त सामान्य नीति के अपवाद स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि केवल ऐसी चैरिटेबिल संस्थायें जो आयकर अधिनियम की धारा–10 (23) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित (नोटिफाइड) हों, कम से कम दस वर्ष तक लगातार इस धारा के अन्तर्गत (नोटिफाइड) रही हों तथा प्रश्नगत भूमि पर निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग हेतु निर्माण कर लिया गया हो, को आवेदन करने पर उन्हें आवंटित भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने की सुविधा निम्न शर्तों पर प्रदान की जा सकेगी :–

1. फ्री–होल्ड के साथ सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी ताकि आवंटित भूखण्ड का विशेष प्रयोजन प्रभावित न हो।
2. भू–उपयोग स्पाट जोनिंग के माध्यम से विशेष प्रयोजन के अनुसार कर दिया गया हो।
3. कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द कुमार
अनु सचिव।

पृ0सं0–3156(1) / 9–आ–1–2000 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कार्यकारी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
2. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
अनु सचिव।